



भारतीय जीवन बीमा निगम

मण्डल कार्यालय, दीनदयाल पुरम, बरेली

फोन नं.: 0581-2300770, फैक्स नं.: 0581-2301711

फर्मों के इम्पैनलमेन्ट हेतु सूचना

भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, बरेली द्वारा 1. Hoarding/ Neon Sign / Glow Sign/ 3M Signages 2. Banner/ Flexes/Vinayal etc. 3. Leaflets/ Pamphlets/ Posters/ Dangers/ Stickers /other Printing items 4. Publicity Van (on Rent) 5. Wall Painting 6. Wall Wrap 7. Tree Guards 8. LIC Planner 9. Sales Promotional Gift Items (Shield/ Trophy/ Medals/ Bags/ Dress Material/ Kitchenwares/ Utensils/ Bedsheets/ Carpet/ Woolen Items/ Umbrella/Raincoat/ T-Shirts/Pooja Thali/ Caps/ Key ring/ mobile stand etc.) 10. Canopies 11. Agents Kit 12. Laminated Identity Cards आईटम्स के पैनेल में इम्पैनलमेन्ट हेतु प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ता फर्मों/कम्पनी/ अधिकृत डीलरों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र मण्डल कार्यालय के विक्रय विभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 4:15 बजे तक रु० 118.00 आवेदन शुल्क लेखा सं० (114018) में जमा करके प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र, नियम तथा शर्तें निगम की वेबसाइट www.licindia.com (Link Tenders) से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। इच्छुक आवेदक अपने आवेदन पत्र बन्द लिफाफे में निम्नलिखित सूचनाओं एवं प्रमाणकों के साथ निम्न पते पर इस प्रकार प्रेषित करें कि आवेदन दि० 27.10.2023 तक प्राप्त हो जायें। लिफाफे के ऊपर लिखें-पैनेल में इम्पैनलमेन्ट हेतु आवेदन-कार्य का प्रकार, पता-अध्यक्ष, भण्डार समिति, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय जीवन प्रकाश, दीनदयालपुरम, बरेली (उ.प्र.) 243122

आवेदन के साथ निम्न सूचनायें एवं प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न करें।

1. आपूर्तिकर्ता फर्म / डीलर का नाम, पूरा पता, दूरभाष व मोबाइल नम्बर।

2. जी. एस. टी. नम्बर, टिन नम्बर एवं पैन नम्बर।

3. कागज निर्माता कम्पनी के डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर का प्रमाण-पत्र।

4. मुद्रण कारखाने का विवरण- मशीन / कर्मचारी आदि की संख्या।

5. निगम के अन्य मण्डलों/शासकीय/अर्धशासकीय/प्रतिष्ठित संस्थानों में पंजीयन का प्रमाण पत्र एवं फर्म का गत 03 वर्षों का टर्नओवर, आयकर निर्धारण का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य।

वर्तमान में इम्पैनलमेन्ट फर्मों को पुनः अपना इम्पैनलमेन्ट कराना होगा। यदि पुनः इम्पैनलमेन्ट नहीं कराया जाता है तो उनका पूर्व इम्पैनलमेन्ट निष्प्रभावी हो जायेगा। प्राप्त आवेदनों की जांच के उपरान्त उपयुक्त फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं को पैनेल इम्पैनलमेन्ट के निर्धारित प्रपत्र जारी किये जायेंगे। निगम समस्त अथवा किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक